



कुलाधिपति
Chancellor

महर्षि दयानन्द सरस्वती
विश्वविद्यालय,
Maharishi Dayanand Saraswati
University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.26(6)आरबी/2018/8019
दिनांक 5 अक्टूबर, 2018

आदेश

मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 (यथासंशोधित 2017) की धारा 19(3) व 19(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से डॉ० राम पाल सिंह, 15, उत्कर्ष, महानगर, बरेली (उ०प्र०) को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

ह०/-

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.26(6)आरबी/2018/8020-8025

दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मान० मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ० राम पाल सिंह, 15, उत्कर्ष, महानगर, बरेली (उ०प्र०)
5. प्रो० कैलाश सोडानी, कार्यवाहक कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

(देबाशीष पृष्ठी)

सचिव

राज्यपाल, राजस्थान